

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06032021-225692 CG-DL-W-06032021-225692

> xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2021 (फाल्गुन 15, 1942)No. 10]NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2021 (PHALGUNA 15, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2021

सं. ए-12/11/14/आरआर-एमआरटी/2017/चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन (कनिष्ठ) और चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन (वरिष्ठ) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अभिलेख सहायक और चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा अभिलेख सहायक और चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1—489 GI/2020

- 2. राष्ट्रीयता-अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :---
 - (क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता—ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 8. व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख सहायक	92*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर- अनुसचिवीय।	लेवल-2 (19,900- 63,200 रुपये)।	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम,

अनुसूची

_

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के
					लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी
					उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप
					समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के
					अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
 (7) अनिवार्य अर्हता : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (10500 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा अथवा प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन्स के औसत से 9000 की-डिप्रेशन्स के तदनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2 : सीधी भर्ती होने की स्थिति में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है। 	(8) आयु—नहीं, अर्हता : कॉलम (11) में यथा-विनिर्दिष्ट	(9) सीधी भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष।	(10) पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	•• •	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स (18,000 से 56,900 रुपये) में लेवल-1 में तीन वर्ष नियमित सेवा सहित मैट्रिकुलेट परिचर्या अर्दली अथवा स्ट्रेचर वाहक अथवा परिचारक से पदोन्नति जिसमें से चिकित्सा अभिलेख विभाग में दो वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त।	विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा	लागू नहीं।

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा अभिलेख सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 1 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ——अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ——सदस्य; (3) अधिमानत: विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) ——सदस्य. समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ——अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ——अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ——सदस्य; (3) अधिमानत: विशेषज्ञता से संबंधित चिकित्सा अधिकारी (बाह्य नामिति केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से) ——सदस्य; 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	47*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय।	लेवल-4 (25,500-81,100 रुपये)।	गैर-चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा अभिलेख सहायक पदोन्नति के लिए ₹ 19,900-63,200 में वेतन		लागू नहीं।
मैट्रिक्स के लेवल-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा।	(पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :-	
टिप्पणी 1: चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर पदोन्नति के लिए	(1) अपर निदेशक, निदेशालय	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा	(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक	
निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का	अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी	
प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर	राज्य बीमा निगम अस्पताल	
होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते	—अध्यक्ष;	
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन	(2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक	
व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया		

(11)	(12)	(13)
जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर	अथवा उप निदेशक अथवा सहायक	
अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।	निदेशक, कर्मचारी राज्यत बीमा निगम	
टिप्पणी 2 : चिकित्सा अभिलेख सहायक {पूर्व में चिकित्सा अभिलेख	अस्पताल	
तकनीशियन (कनिष्ठ)} के लिए पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा परिशोधित भर्ती	—सदस्य;	
विनियम की अधिसूचना की तिथि को नियमित आधार पर धारित पद में वेतन	(3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित	
मैट्रिक्स 19,900-63,200/- के अंतर्गत लेवल-2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा	विशेषज्ञता अधिमानत: (केंद्रीय अथवा	
होगी।	राज्य सरकार से बाह्य नामिति)	
टिप्पणी 3 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर	—सदस्य.	
चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर		
भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक		
अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न		
हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने		
कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा		
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

दिनांक 3 फरवरी 2021

से ए-12/11/1/2014-चि.-VI(डीटी)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य तकनीशियन (दंत्य मैकेनिक) पदों) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दंत्य मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्मति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(१) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दंत्य मैकेनिक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकेरिशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होता चाहिए:-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखते।/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पतें की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथात्रिनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- शारीरिक स्वस्थता :- (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चोच्च इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थे घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION) New Delhi, the 29th January 2021

No. A-12/11/14/RR-MRT/2017/Med.VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Medical Record Technician (Junior) and Medical Record Technician (Senior) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Medical Record Assistant and Medical Record Technician in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Medical Record Assistant and Medical Record Technician Recruitment Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: -
 - (a) a Citizen of India; or
 - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government

- 6. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Medical Record Assistant.	92*(2020) *Subject to variation dependent upon workload.	Group 'C', Non- Ministerial.	Level -2 (₹ 19,900- 63,200).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto 40 years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					NoteThe crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (i) 12th class pass from a recognized Board or University. (ii) Certificate of Medical Record Technician training from a recognised institute. (iii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions on an average of 5 key depressions for each word. Note-1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note-2.—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them, in case of direct recruitment.	Age-No, Qualification: As specified in column (11).	Two years for direct recruitment.	Fifty percentage by promotion failing which by direct recruitment and fifty percentage by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	1	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Matriculate Nursing Orderly or	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Stretcher Bearer or Attendant with three years	Committee (for considering Promotion)	
regular service in Level-1 in the Pay Matrix	consisting of—	
(₹ 18,000 to 56,900) out of which two years	1. Additional Director, Directorate (Medical)	
experience in Medical Record Department and	or Medical Superintendent or Deputy Medical	

(11)	(12)	(13)
having working knowledge of computer. For promotion to the post of Medical Record Assistant, the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government) —Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital —Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government) —Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Medical Record Technician.	47*(2020) *Subject to variation dependent upon workload.	Group 'C', Non- Ministerial.	Level -4 (Rs. 25,500- 81,100).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion from Medical Record Assistant with eight years regular service	Group 'C' Departmental	Not
in Level-2 in the Pay Matrix ₹19,900-63,200.	Promotion Committee (for	applicable.
Note 1.—For promotion to the post of Medical Record Technician, the	considering promotion)	
candidate should have completed the training in the field of duties and	consisting of-	
skill development, etc. through Training Institute of Employees' State	1. Additional Director,	
Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority.	Directorate (Medical) or	
Those persons who are due to retire within two years shall be exempted	Medical Superintendent or	
from completion of such training. Provided that those persons who have	Deputy Medical	
not completed training for promotion before the date of meeting of	Superintendent, Employees'	
Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to	State Insurance Corporation	
condition that the required training will be completed within one year of	Hospital	
the date of meeting of Departmental Promotion Committee.	—Chairman;	
Note 2.—The eligibility service for promotion for Medical Record	2. Director or Joint Director or	
Assistant {erstwhile Medical Record Technician (Junior)} holding the	Deputy Director or Assistant	
post on regular basis on the date of notification of the revised recruitment	Director, Employees' State	
regulations shall be five years regular service in Level-2 in the Pay Matrix	Insurance Corporation	
₹ 19,900-63,200.	Hospital	
Note 3 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	—Member;	

(11)	(12)	(13)
service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or edibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State	
juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	—Member.	

ANURADHA PRASAD Director General

The 3rd February 2021

No. A-12/11/1/2014-Med.-VI (DT).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Dental Technician (Dental Mechanic) Posts), Recruitment Regulations, 2010, excepts as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dental Mechanic in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Dental Mechanic, Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Nationality. A candidate for appointment must be:-
- (a) a Citizen of India; or
- (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
- (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.
- Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.
- 6. Disqualification.-No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other